

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 3115
गुरुवार, 27 मार्च, 2025/6 चैत्र, 1947 (शक)

एपीएनए के साथ साझेदारी

3115. श्री धनंजय भीमराव महादिक:

श्री बृज लाल:

श्री रायगा कृष्णैया:

श्रीमती माया नारोलिया:

डा. भीम सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) एपीएनए के साथ साझेदारी के माध्यम से सृजित रोजगार के अनुमानित अवसरों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं कि महिलाएँ और दिव्यांगजन नौकरी के अवसरों से समान रूप से लाभान्वित हों;
- (ग) क्या एपीएनए की नेशनल करियर सर्विस (एनसीएस) के अभ्यर्थियों के सम्पूर्ण डाटाबेस तक पहुंच होगी; और
- (घ) यदि हाँ, तो डेटा की सुरक्षा के लिए क्या सुरक्षोपाय मौजूद हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): नौकरी चाहने वालों के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 'अपना' के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जो भारत के अग्रणी रोजगार भर्ती प्लेटफार्मों में से एक है। एनसीएस पर नौकरी चाहने वालों को मेट्रो और गैर-मेट्रो शहरों में रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे। यह साझेदारी घरेलू रोजगार के अवसरों को मजबूत करते हुए राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल पर सालाना 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी। यह पहल एनसीएस के गतिशील, समावेशी रोजगार परिदृश्य पर केंद्रित मिशन का समर्थन करती है जिससे सभी प्रकार की पृष्ठभूमि के नौकरी चाहने वालों को रोजगार के उपयुक्त अवसरों को खोजने में मदद मिलती है। इससे महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों सहित सभी के लिए समान अवसरों को और अधिक बढ़ावा मिलेगा तथा निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित होगी।

‘अपना’ और अन्य समझौता ज़ापन के भागीदार आवेदन करने वाले उम्मीदवारों और आवेदन न करने वाले पात्र उम्मीदवारों के डेटा को भी प्राप्त कर सकेंगे। राष्ट्रीय करियर सेवा ने यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय लागू किए हैं कि डेटा सुरक्षा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुकूल है।
